न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या:—128 / 2020 / दावा

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह
2. पृथ्वी सिंह पुत्र जगदीश सिंह
3. बनिता कंवर पुत्री जगदीश सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

बनाम

1. जगदीश सिंह पुत्र गोपाल सिंह
2. रमेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दांतारामगढ जरिये प्रबंधक।
4. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति:

1. श्री नन्दलाल धायल वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री रतनलाल पलसानियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर सें।
3. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक-२३.१०.2020

1. वाद में वादी का कथन व वादसार इस प्रकार है कि ग्राम हीरवास पटवार हल्का बाज्यावास भू0अ0नि0 क्षैत्र बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 100 / 1, 24, 26, 27, 28 / 1 किता 5 कुल रकबा 6.7000 हैक्टर अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:—

जगदीश सिंह पुत्र गोपाल सिंह (प्रतिवादी सं0 1)

नरेन्द्र सिंह(पुत्र) पृथ्वी सिंह(पुत्र) रमेश सिंह(पुत्र) बनिता कंवर(पुत्री)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उक्त वर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित कृषि आराजियात न होकर अपने पिता गोपालसिंह पुत्र देवी सिंह सें विरासत में प्राप्त संपदा है जो कि गोपाल सिंह पुत्र देवीसिंह के फौत होने सें उक्त भूमियों के संबंध में भरे हुए नामांतकरण सें पूर्णरूप सें प्रमाणित है एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के जायंदा संतान है इसलिए दावे की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का बाईबर्थ 1/5, 1/5 हिस्से का राईट है जिसें वंचित किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। किंतु प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त भूमियों सें महरूम करना चाहता है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 विगत 8–10 रोज सें अजनबी व्यक्तियों को उक्त भूमियों पर लाकर बेचान किये जाने के प्रयोजन सें बता रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को काफी समझाईश की जा चुकी है किंतु प्रतिवादी संख्या 1 मानने सें इन्कार हो रहा है। इसलिए वादीगण को अपने हक हिस्से को संरक्षित करने व अपने हक हिस्से को उद्घोषित करवाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण को दावे की उक्त वर्णित भूमियों का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। वादकारण वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विगत 8–10 रोज पूर्व वादवर्णित कृषि भूमियों को बेचान करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है। अंत में वादपत्र प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 डिक्री किया जाकर वादवर्णित कृषि भूमियों में वादीगण सहित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

को वादीगण के हक हिस्से की भूमियों में दखलंदाजी करने सें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर सें वकील श्री रतनलाल पलसानियां हाजिर आये तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर सें राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने राजीनामे अनुसार वादपत्र स्वीकार किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादवर्णित कृषि भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रिक कृषि आराजियात है अतः प्रतिवादीगण की वाद में सहमति के आधार पर वादी का वाद प्रथम दृष्ट्या स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण की सहमति पर तथा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में उद्घोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 100/1, 24, 26, 27, 28/1 किता 5 कुल रकबा 6.7000 हैक्टर वाके ग्राम हीरवास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बराबर–बराबर 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के वर्तमान प्रतिवादी संख्या 3 के रहन को वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से को बराबर–बराबर रहन दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अशोक कुमार
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

नरेन्द्र सिंह आदि बनाम जगदीश सिंह आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 128 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 23.10.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री नन्दलाल धायल** मिनजानिब मुद्दई व श्री रतनलाल पलसानियां मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 100 / 1, 24, 26, 27, 28 / 1 किता 5 कुल रकबा 6.7000 हैक्टर वाके ग्राम हीरवास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बराबर–बराबर 1 / 5, 1 / 5 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के वर्तमान प्रतिवादी संख्या 3 के रहन को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से को बराबर–बराबर रहन दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.10.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

	संख्या	पेड़	[illegible]	संख्या	पेड़
[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	1	30
[illegible]	1	30	[illegible]		
[illegible]	-	-	[illegible]		
[illegible]	-	-	[illegible]		
[illegible]	-	-	[illegible]		
[illegible]	-	-	[illegible]		
[illegible]	-	-	[illegible]	2	30
[illegible]	[illegible]	30		1	30
[illegible]	15	30	[illegible]	1	30

[illegible]

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़